APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा

......परशराम......

किस्म मुकदमा......251A......बनाम......रामलाल......

नं. ......80......सन्......2022......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
28/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा के माल में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण काबिज व काश्त करते हुए आ रहे है, आज भी काबिज और काश्त कर रहे है। आराजी पुश्तैनी है और बाप दादाओ के समय से ही अपनी आराजी पर अपने जाने के लिए खसरा नं0 30, 54, 54/1, 56, 57, 57/2, 54/2, 53/3, 25, 26, 27, 45, 648, 798/796, 799/796 व अन्य खसरा नम्बरान की मेडो से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रास्ते से गुजरते है, तथा अपना कृषि से संबंधित औजार बेलगाडियॉ व अपने अनाज को लाने ले जाने व कृषि से उपयोगी साधन ट्रैक्टर व अन्य यंत्र उपरोक्त खसरा नम्बरो की मेडो से होकर निकलती है, रास्ता रोडो से जुडा हुआ है, परंतु उपरोक्त रास्ता होने के बावजूद भी राजस्व रेकार्ड में रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने खसरा नम्बरान की मेडो से जो उपरोक्त चला हुआ आ रहा रास्ता के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम करवाना चाहते है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की मेडो से बना हुआ पूर्व के रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न तहसील रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि मौके पर रास्ता बना हुआ है और वर्तमान में रास्ता खुला हुआ है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रचलित रास्तो का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु "रास्ता खोलो अभियान" चलाया जा रहा है। तहसीलदार रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं रास्ता चालू है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन नही है। राज्य सरकार के अभियान "रास्ता खोलो अभियान" की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवली मच्छियान तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बरान 30, 54, 54/1, 56, 57, 57/2, 54/2, 53/3, 25, 26, 27, 45, 648, 798/796, 799/796 व अन्य खसरा नम्बरान की मेडो के मध्य बने प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में डॉटेड लाईन से किया जावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा